at Guntur Railway Station on Arundelpet side, to facilitate the movement of commuters there; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Promotions in Central Public Wroks Department

1827. SHRI RAM AWADESH SINGH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the sealed cover procedure in CPWD is followed for Group 'B' and 'C' staff;

(b) whether it is a fact that for group 'A' the said procedure is not applicable;

(c) if so, the reasons for this discrimination;

(d) if not, the reasons for which group 'A' officer whose vigilance cases are pending have been promoted; and

(e) the details of the policy being follwed by CPWD authority in this regard to promotion?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. It is applicable.

(c) In view of reply to part (b), the question does not arise.

(d) and (e) Cases of officers against whom disciplinary proceedings are pending are considered for *ad hoc* promotion keeping in view the orders of the Department of Personnel and Training and with the approval of the appointing authority.

शहरी मूलभूत सुख-सुविधा योजना

1828. **श्री शिव प्रताप मिश्र** : क्या शहरी **विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1986-87 में प्रारम्भ की गई शहरी मूल-भूत सुख-सुविधा योजना के अधीन मध्य प्रदेश के केवल एक ही जिले को सहायता प्रदान की गई है जबकि अन्य जिलों में बहुत बड़ी संख्या में लोग झुग्गी-झोपड़ियों और गंदी बस्तियों में रह रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का लाभ अन्य स्थानों के व्यक्तियों को भी देने के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ;

(ग) राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) विभिन्न राज्यों में उपर्युक्त योजना के अधीन अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और इससे कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) (क) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शहरी मूलभूत सेवा योजना के अन्तर्गत इन्दौर जिला तथा इस जिले के इन्दौर, महु, दिपालपुर, सनवर तथा मधुगांव कस्बों को क्रियान्वयन के लिए चुना है ।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के दौरान राज्य सरकार से शहरी मूलभूत सेवा योजना के अन्तर्गत किसी भी अन्य कस्बों को शामिल नहीं किया था क्योंकि योजना का कार्यान्वयन केवल प्रायोगिक स्तर पर किया जा रहा था । यद्यपि 1990-91 के दौरान योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है तथा राज्य सरकारों से प्रस्ताव तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है ।